न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 01/2022 जिला सीकर

1. प्रकाश पुत्र श्री लिछमनराम जाट,
2. झाबरमल पुत्र श्री भूराराम,
3. राजेन्द्र पुत्र श्री भूराराम
4. रामकुमार पुत्र श्री भूराराम
5. सुंडाराम पुत्र श्री भूराराम
6. विधाधर पुत्र श्री भीवा

समस्त जाति–जाट व निवासियान–डाब वाली जोडी, ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर। –अपीलान्ट्स

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, जिला–सीकर।
2. केसरी देवी पत्नी सार्दुल सिंह,
3. गोपाल सिंह पुत्र श्री सार्दुल सिंह,
4. महेश पुत्र बीरबल
5. राजेन्द्र पुत्र बीरबल
6. प्रभु पुत्र बीरबल,

जाति–जाट, समस्त निवासीयान–ग्राम कटराथल, तहसील सीकर, जिला सीकर। –रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट विरूद्ध आदेश द्वारा उपखण्ड अधिकारी सीकर दिनांक 29.11.2021 प्रकरण संख्या 533/21

1181
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

उपस्थित–

1. वकील अपीलान्ट श्री कपिल तोतला
2. रेस्पोडेन्ट नं. 1 श्री चन्दशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता
3. रेस्पोडेन्ट नं. 2 से 6 श्री हरलाल सिंह

निर्णय

दिनांक –27.06.2022

यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर के निर्णय दिनांक 29.11.2021 के खिलाफ दिनांक 03.01.2022 को प्रस्तुत हुई है । प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि :–

तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 08.11.2021 के द्वारा ग्राम कटराथल तहसील सीकर के ख.नं. 359, 355, 717, 722, 719, 723, 725, 726, 729, 731, 751, 739, 737, 745, 747, 722, 704, 672, 657, 701 कुल किता 19 में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा भिजवाया गया। ग्राम कटराथल शहरी ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होने से, रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन बाबत सचिव, नगर विकास न्यास सीकर से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/21/1106 दिनांक 1.11.2021 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लिखा गया। सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, पत्र क्रमांकःन./वी./न्या./राजस्व/2021/4815 दिनांक 16.11.2021 भिजवाया गया। रास्ते नगर सुधार न्यास सीकर की खातेदारी में दर्ज एवं अन्य सरकारी भूमियों को छोडकर केवल निजी खातेदारी में से ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार सीकर के दिनांक 08.11.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय

Scanned by CamScanner

नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये।

उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर के उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 29.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर स्वीकार करने एवं अपीलाधीन निर्णय उप खण्ड अधिकारी सीकर जिला सीकर दिनांक 29.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई ।

अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम कटराथल तहसील व जिला सीकर में आराजी खसरा नंबर ग्राम कटराथल तहसील सीकर के ख.नं. 359, 355, 717, 722, 719, 723, 725, 726, 729, 731, 751, 739, 737, 745, 747, 722, 704, 672, 657, 701 कुल किता 19 में सचिव, नगर विकास न्यास सीकर द्वारा इन खसरों में रास्ते हेतु अभिशंषा उपखण्ड अधिकारी सीकर को की गई। उपखण्ड अधिकारी सीकर ने दिनांक 29.11.2021 को प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 में विना अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये नैसर्गिक न्याय का उल्लंधन कर उपरोक्त लिखित समस्त खसरों की कुछ भूमि के बावत राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ते के रूप में दर्ज करने के आदेश कर दिये। अपीलार्थीगण को इस तथ्य का मालूम होने पर उन्होनें अपने खसरा नंबर 751 व 701 में गलत कटान के संबंध में आपत्ति कर आदेश दिनांक 29.11.2021 में संशोधन करने के लिए प्रार्थना पत्र भी पेश किया। किन्तु इस आपत्ति को रिकार्ड पर उपखण्ड अधिकारी द्वारा नहीं लिया गया। इस आदेश से अपीलार्थीगण के हित प्रभावित होते है। तहसीलदार सीकर द्वारा भेजी गई अनुशंषा में यह लिखा कि उपरोक्त खसरों में प्रस्तावित रास्ता चालू है तथा आवागमन हो रहा है। किन्तु जबकि वास्तविक रूप में उक्त कथन अपीलार्थीगण की भूमि खसरा नं. 701 व 751 के संदर्भ में गलत है क्योंकि इन खसरों में न तो यह रास्ता चालू है और ना ही इसमें कोई आवागमन का रास्ता वर्तमान में है। उपखण्ड अधिकारी सीकर ने विना अपीलार्थीगण को नोटिस जारी किये व बिना मौका देखे केवल मात्र तहसीलदार सीकर की अभिशंसा पर अपीलार्थीगण के स्वामित्व के खसरा नं. 701 व 751 की कुछ भूमि के संदर्भ में राजस्व रिकार्ड में गैर मुमकिन रास्ता दर्ज करने के आदेश दे दिये। जो कि श्रीमान न्यायालय द्वारा अपीलार्थीगण के खसरा नं. 701 व 751 के हद तक निरस्तनीय है। अपीलार्थीगण की भूमि संख्या 701 व 751 पर कभी कोई रास्ता नहीं है और ना ही रहा है और जो रास्ता काटने के आदेश दिये है वह भी सही नहीं है क्योंकि वह आगे जाकर खसरा नं. 704 के निकट बंद हो जाता है और रास्ता काटने के संबंध में उपखण्ड अधिकारी ने न तो अपीलार्थीगण को नोटिस दिया और न ही कोई मौका रिपोर्ट ली गई और ना ही मौके को वास्तविक रूप से देखा गया। अतः खसरा नं. 701 व 751 के हद तक निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में भी निर्णय योग्य अधिनस्थ न्यायालय निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के खिलाफ एवं विधि विरूद्ध होने से अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 29.11.2021 को निरस्त किया जावे ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

रेस्पोडेन्ट संख्या 2 से 6 के अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार सीकर, जिला सीकर ने प्रचलित रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने बाबत दिनांक 08.11.2021 के द्वारा ग्राम कटराथल तहसील सीकर के ख.नं. 359, 355, 717, 722, 719, 723, 725, 726, 729, 731, 751, 739, 737, 745, 747, 722, 704, 672, 657, 701 कुल किता 19 में से रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किये जाने का प्रस्ताव मय नक्शा भिजवाया गया। ग्राम कटराथल शहरी ग्रामीण क्षेत्र के अन्तर्गत होने से, रास्ते को राजस्व रिकार्ड में अंकन

Scanned by CamScanner

बाबत सचिव, नगर विकास न्यास सीकर से इस कार्यालय के पत्र क्रमांक राजस्व/21/1106 दिनांक 1.11.2021 द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु लिखा गया। सचिव, नगर विकास न्यास, सीकर द्वारा अनापत्ति प्रमाण पत्र, पत्र क्रमांकःन./वी./न्या./राजस्व/2021/4815 दिनांक 16.11.2021 भिजवाया गया। रास्ते नगर सुधार न्यास सीकर की खातेदारी में दर्ज एवं अन्य सरकारी भूमियों को छोडकर केवल निजी खातेदारी में से ही राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जाने बाबत प्रस्ताव मय नक्शा ट्रेस के उपखण्ड अधिकारी सीकर को भिजवाये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय उप खण्ड अधिकारी सीकर, जिला सीकर ने "राजस्व (ग्रुप–6) विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 व दिनांक 30.09.2021 की पालना में तहसीलदार सीकर के दिनांक 08.11.2021 के द्वारा आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्ते को राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु प्रस्ताव मय नक्शा प्राप्त हुआ। दिये गये निर्देश की पालना में एवं राजस्थान भू राजस्व अधिनियम की धारा 131 एवं 132 तथा भू राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 एवं 86 के प्रावधानों के अनुसार राजस्व अभिलेख व नक्शा ट्रेस में दर्ज खातेदारान की खातेदारी भूमि में से प्रस्तावित रास्ता को गै.मु. रास्ता के रूप में दर्ज किये जाने को आदेश दिये गये। उनका कहना है कि मौके पर प्रचलित रास्ता होने पर आम जन की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मौका देखकर रास्ते के प्रस्ताव दिये गये थे जो नियमानुसार स्वीकार कर रिकार्ड में दर्ज करने का निर्णय पारित किया गया है, जो पूर्णतया विधि अनुसार है। अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अपीलाधीन आदेश तहसीलदार, पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने पारित किया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट में कोई सार नहीं होने से खारिज की जावे ।

हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा । प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व तहसीलदार सीकर के प्रस्ताव दिनांक 29.11.2021 के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 751 में जो रास्ता दर्शाया गया है व पूर्व से ही डॉटेड रास्ते के रूप में दर्ज रहा है तथा अनेक खसरा नम्बरों से होकर गुजरता है इस प्रकार यह नहीं माना जा सकता है कि यह रास्ता तहसीलदार द्वारा मनमर्जी से कायम किया गया है। जहॉ तक खसरा नम्बर 701 का प्रश्न है यहा रास्ता पूर्व में डॉटेड रास्ते के रूप में दर्ज नहीं रहा है तथा आगे जाकर किसी रास्ते से भी नहीं मिलता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नक्शे के अवलोकन से जाहिर होता है कि खसरा नम्बर 701 में से जो रास्ता दर्शाया गया है वह रास्ता मात्र खसरा नम्बर 704 तक ही जाता है। ऐसी स्थिति में खसरा नम्बर 701 में दर्शाया गया रास्ते के बारे में उपखण्ड अधिकारी सीकर के स्तर पर अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का निरीक्षण कर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। उक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलकर्ता की अपील आंशिक रूप से स्वीकार किए जाने योग्य है तथा खसरा नम्बर 701 की हद तक रिमांड किया जाना उचित प्रतीत होता है। शेष निर्णय में हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

अतः–अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर खसरा नम्बर 701 के बारे में अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर को रिमांड किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि अपीलकर्ता को सुनकर एवं मौके का अवलोकन करके पुनः निर्णय पारित करें। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सीकर का निर्णय दिनांक 29.11.2021 का शेष निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(डॉ. गिरीश पाराशर)
अति. समादेय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner